

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002

—00—

क्रमांक/1547/2020/वा.क.(आब.)/पांच,

नवा रायपुर, दिनांक 31-03-2020

प्रति

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :- नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने बाबत।

संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक 1513/2020/वा.क.(आब.)/पांच, दिनांक 21.03.2020

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ संदर्भित पत्र के माध्यम से नोवल कोरोना वायरस (COVID - 19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से समस्त एफ.एल.4/4-क क्लब को दिनांक 23.03.2020 से 31.03.2020 तक बंद करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

3/ देश में नोवल कोरोना वायरस (COVID - 19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश No.40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 24 मार्च, 2020 के अनुसार पूरे देश में लॉकडाउन किये जाने के संबंध में आदेशित किया गया है, साथ ही तद्संबंध में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/211/मु.स./2020, दिनांक 25 मार्च, 2020 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

4/ अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.04.2020 से 07.04.2020 तक समस्त एफ.एल.4/4-क क्लब को बंद रखने हेतु आदेश प्रसारित करते हुए उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

mt. 889

31-03-2020

(मरियानुस तिग्गा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

N. S. Mishra
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 31-03-2020

पृ.क्र./1548/2020/वा.क.(आब.)/पांच,

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

4. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
 5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
 6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
 7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
 8. संचालक, जन-सम्पर्क, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
 9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
 10. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
 11. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
 12. तकनीकी संचालक, एन. आई. सी., आबकारी भवन, रायपुर।
 13. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
 14. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़,
 15. उपायुक्त आबकारी जिला-रायपुर/सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग/ राजनांदगांव/ बिलासपुर/कोरबा/जांजगीर चांपा/रायगढ़, एवं
 16. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़
 17. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ (आसवनी)
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

mti 889
31-03-2020

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

10/3/20
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग